प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 – फारम सं0 562 **अभिलेख संख्या** 10/25-26

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार :– ऑफलाईन भौतिक पंजी में दर्ज जमाबंदी के आधार पर ऑनलाईन जमाबंदी सृजन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
12.08.2025	आवेदक संगीता जायसवाल, पति– स्व0 धन्नजय प्रसाद जायसवाल, ग्राम–बांधडीह, थाना–जरीडीह, जिला–बोकारो द्वारा मौजा–बांधडीह, थाना नं0– 11, अन्तर्गत खाता नं0–97, प्लॉट नं0–4245 ,रकवा– 05 डी0 भूमि के ऑनलाईन पंजी 2 में दर्ज कराने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र दाखिल किया हैं। प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करते हुए आपत्ति हेतु आम ईस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक– 15/09/25 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी जरीडीह।	
15.09.2025	अभिलेख उपस्थापित। आम ईस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदक संगीता जायसवाल, पति– स्व0 धन्नजय प्रसाद जायसवाल, ग्राम–बांधडीह, थाना–जरीडीह, जिला–बोकारो द्वारा मौजा–बांधडीह, थाना नं0– 11, अन्तर्गत खाता नं0–97, प्लॉट नं0–4245 ,रकवा– 05 डी0 भूमि का भौतिक पंजी II के जमाबंदी के आधार पर ऑनलाईन जमाबंदी सृजन हेतु अनुरोध किया गया हैं। वर्णित भूमि रैयती खाते के अन्तर्गत आता है। उक्त भूमि आवेदक संगीता जायसवाल के पति– स्व0 धन्नजय प्रसाद जायसवाल को निबंधित केवाला संख्या–4621, दिनांक– 06.08.2014 द्वारा श्री शिव प्रसाद मण्डल, श्री प्रमचन्द मण्डल, श्री दिलीप मण्डल, तीनों के पिता स्व0 रतन मण्डल, साकिन बांधडीह, थाना जरीडीह, जिला बोकारो से खरीदगी प्राप्त है। जिसका नामान्तरण अंचल कार्यालय जरीडीह द्वारा नामांतरण वाद संख्या 343/2014–15 स्वीकृत होकर लगान रसीद क्रेता धन्नजय प्रसाद जायसवाल पिता शम्भु प्रसाद जायसवाल के नाम निर्गत हो रहा है, जो भौतिक पंजी 2 के भाग 18 पृष्ठ 25 में दर्ज है। जिसका मिलान संबंधित कर्मचारी द्वारा R27 से किया गया एवं सही पाया गया। परन्तु भौतिक पंजी 2 के आलोक में ऑन लाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज नहीं होने के कारण लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। तथा ऑनलाईन पंजी 2 के जाँच के क्रम में भाग पृष्ठ रिक्त पाया गया। नामांतरण वाद संख्या 343/2014–15 एवं लगान रसीद सं0– 028429, दिनांक– 16.03.2015, राजस्व निबंधन भूमि सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक–1857 दिनांक– 29.07.2020 के आधार पर मौजा–बांधडीह, थाना नं0– 11, अन्तर्गत खाता नं0–97, प्लॉट नं0–4245 ,रकवा– 05 डी0 भूमि की जमाबंदी की प्रविष्टि/डिजिटाईजेशन ऑनलाईन पंजी 2 के अद्यतन भाग/पृष्ठ में " धन्नजय प्रसाद जायसवाल पिता शम्भु प्रसाद जायसवाल साकिन बांधडीह" के नाम से राजस्व हित में की जा सकती है। अतः राजस्व निबंधन भूमि सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक–1857 दिनांक– 29.07.2020 में दिए गये दिशा निर्देश तथा राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, भौतिक पंजी II ,आवेदक द्वारा समर्पित कागजात एवं राजस्व हित में उक्त भूमि के जमाबंदी का सृजन " धन्नजय प्रसाद जायसवाल पिता शम्भु प्रसाद जायसवाल साकिन बांधडीह " के नाम से ऑनलाईन पंजी II में प्रविष्टि करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं शुद्धित अंचल अधिकारी जरीडीह। अंचल अधिकारी जरीडीह।	

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2025.11.07 18:29:19 +05:30
Location: 10.93.250.200